तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
21.08.2024	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा बहस में जाहिर किया कि आवंटन मिसल संख्या 605/89 द्वारा आवंटी रामलाल पुत्र रामनाथ कुमावत को सरकारी कर्मचारी होने एवं कब्जा काश्त भी नहीं होने के बावजूद दिनांक 11.07.1990 को ग्राम दौलत पुरा के आराजी नंबर 502 में से 5 बीघा भूमि गलत आवंटित हुई। उक्त आवंटित भूमि के वर्तमान खसरा नं. 2371/694 व 2373/695 रकबा क्रमशः 0.050 हैक्ट. एवं 0.75 हैक्ट. विपक्षी संख्या 01 एवं उसके वारिसान विपक्षी संख्या 1/1 लगायत 1/5 की खातेदारी मे चले आ रहे है। खसरा संख्या 694 एवं 695 के राजस्व रेकार्ड के अनुसार टुकडे कर नये नम्बर क्रमशः 2371/694, 2372/694 एवं 2373/695, 2374/695 कायम किये गए। आराजी नम्बर 2372/694 एवं 2374/695 बिलानाम दर्ज है। प्रार्थी मोहम्मद युसुफ उक्त वाग्रस्त आराजियात पर स्वयं की रजिस्टर्ड खरीदशुदा दिनांक 26.04.2011 से आज तक काबिज काश्त है। उक्त आवंटन को निरस्त कराने हेतु प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 14(4) राजस्थान कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 इस न्यायालय में विचाराधीन है। प्रार्थी एवं विपक्षी के मध्य कब्जे को लेकर आए दिन विवाद होते रहते है। इस कारण वाद ग्रस्त आराजियात पर मौके व रिकार्ड की यथा स्थिति बनाए रखना आवश्यक है। अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1/1 लगायत 1/5 ने दौराने बहस जाहिर किया कि प्रार्थी द्वारा जब यह प्रार्थना पत्र पेश किया उस समय विपक्षी संख्या 01 रामलाल पुत्र रामनाथ कुमावत की मृत्यु हो चुकी थी। प्रार्थी द्वारा मृतक व्यक्ति के विरूद्ध एक तरफा स्थगन आदेश लिया गया है। इसके पश्चात विपक्षी संख्या 01 के विधिक वारिसान विपक्षी संख्या 1/1 लगायत 1/5 को बतौर विपक्षी संयोजित किया गया। आवंटन के समय से ही विपक्षी संख्या 1/1 लगायत 1/5 के पिता रामलाल कुमावत सद्भावी कृषक थे एवं वादग्रस्त आराजियात पर कब्जा काश्त थे। वर्तमान में प्रश्नगत आराजियात का इंतकाल भी मृतक विपक्षी संख्या 01 के नाम पर ही है। एसे में पूर्व में जारी स्थगन आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। प्रार्थना पत्र का अवलोकन एवं प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया। चूंकि विवाद ग्रस्त आराजियात का नामान्तरण अभी भी विपक्षी संख्या 01 के नाम दर्ज है परन्तु उनकी मृत्यु हो चुकी है। ऐसे में उक्त आराजियात का नामान्तरण विपक्षी संख्या 01 के विधिक वारिसान पर खुलना आवश्यक है। परन्तु नामान्तरण खुलने बाद विपक्षीगण द्वारा भूमि का अन्यत्र अंतरण करना भी संभावित है जिससे प्रार्थी को अपूरणीय क्षति भी संभावित है और पक्षकारों के द्वारा भूमि के अन्तरण की दशा में अनावश्यक मुकदमेबाजी बढना भी संभव है। अतः सुविधा संतुलन इसी में है कि न्यायालय द्वारा पूर्व में जारी स्थगन आदेश को संशाधित कर इस प्रकरण से संबंधित मूल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) राजस्थान कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम निस्तारण तक उक्त वाद ग्रस्त आराजियात का अंतरण किसी भी प्रकार से विपक्षी संख्या 01 के विधिक वारिसान विपक्षी संख्या 1/1 लगायत 1/5 के अलावा अन्य किसी को ना किया जावे। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत् स्थगन अंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर पूर्व में जारी स्थगन आदेश संशोधित कर प्रकरण से संबंधित वादग्रस्त आराजियात का नामान्तरण नियमानुसार विपक्षी संख्या 01 के –लगातार–

विधिक वारिसान विपक्षी संख्या 1/1 लगायत 1/5 के नाम खोले जाने के आदेश इस शर्त पर दिये जाते है कि प्रकरण से संबंधित प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) राजस्थान कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम के निस्तारण तक विपक्षीगण ग्राम दौलतपुरा, पटवार हल्का दौलतपुरा, तहसील शाहपुरा में स्थित खसरा सं. 2371/694, 2373/695, रकबा क्रमशः 0.50 रकबा हैक्ट0 एवं 0.75 हैक्ट0 कुल किता–2, कुल रकबा 1.25 हैक्ट0 से संबंधित उक्त विवादग्रस्त जायदाद को रहन, विक्रय, दान, खुर्द–बुर्द एवं किसी भी तरह से किसी को अन्तरण नहीं करें। तहसीलदार, शाहपुरा को निर्देशित किया जाता है कि उक्त आदेश की पालना सुनिश्चित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम कर मूल प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न करें।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
जिला कलक्टर
शाहपुरा